राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक एफ 12(74) आयो/आकाशि/2011/ 902 दिनांक 02/12/2021

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः—राजकीय महाविद्यालयों के नाम में विसंगति के क्रम में दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रायः देखा गया है कि राजकीय महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय का नाम संक्षिप्त रूप/विभिन्न स्थानों (UGC, NAAC, University etc.) पर भिन्न–भिन्न नाम प्रयुक्त किये जा रहे है। इस कारण विश्वविद्यालय से समबद्धता, UGC 2(f) & 12(B) की मान्यता एवं NAAC के प्रत्यायन की समस्याऐं आती है तथा इस विषयक विभाग को विधिक नोटिस भी प्राप्त हुए है।

अतः राजकीय महाविद्यालयों द्वारा सभी दस्तावेजों पर महाविद्यालय के नाम प्रयुक्त से संबंधित निम्न निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें।

1. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग/राज्य सरकार द्वारा जारी नाम के आदेश की अक्षरशः पालना की जावे।
2. महाविद्यालय स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत होने पर UGC, NAAC, University में महाविद्यालय का नाम का संशोधित करने हेतु आपके स्तर से कार्यवाही करें।
3. इस बात का ध्यान रखा जावे कि जब कभी उन्हें विभागीय या अन्य कोई पत्राचार करना हो, उस समय महाविद्यालय का पूरा नाम अंकित करें।
4. भविष्य में विश्वविद्यालय से समबद्धता, UGC 2(f) & 12(B) की मान्यता एवं NAAC के प्रत्यायन एवं अन्य में नामकरण से संबंधित समस्या उत्पन्न ना हो। अतः उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(त्रिभुवनपति)
अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा विभाग,राज.जयपुर।

क्रमांक एफ 12(74) आयो/आकाशि/2011/903-04 दिनांक 02/12/2021

प्रतिलिपिः —निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1— समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।

2— वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने बाबत्।

दीपाली भार्गव

(डॉ.दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा,राज.जयपुर